रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247] नई दिल्ली, बुधवार, मई 7, 2008/वैशाख 17, 1930
No. 247] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 7, 2008/VAISAKHA 17, 1930

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2008

सा.का.नि. 341(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 55 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बीमांकक (परिषद् के सदस्य का नामनिर्देशन) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) अभिप्रेत है ।

(ख) "सदस्य" से इन नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् में नामनिर्देशित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किए गए और इनमें परिभाषित न किए गए किन्तु अधिनियम में परिभाषित सभी शब्दों और पदों के वही अर्थ हैं, जो अधिनियम में उनके हैं ।

3. **नामनिर्देशनों के लिए विचार का क्षेत्र.**—केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उप-खंड (iii) के अधीन परिषद् के सदस्यों का निम्नलिखित में से नामनिर्देशन करेगी,—

(क) ऐसे व्यक्ति जिनके पास जीवन बीमा या साधारण बीमा के क्षेत्रों में कार्यसाधक ज्ञान है और वे किसी बीमा कंपनी में कार्य नहीं कर रहे हैं,

(ख) ऐसे व्यक्ति जिनके पास वित्त संबंधी क्षेत्र में कार्यसाधक अनुभव है,

(ग) अर्थशास्त्र, विधि और लेखाकर्म के क्षेत्र में शिक्षाविद् या विशेषज्ञ,

(घ) किसी अन्य विद्याशाखा से कोई विशेषज्ञ जिसे केन्द्रीय सरकार परिषद् के लिए उपयोगी समझे :

परंतु यह है कि इस प्रकार नामनिर्देशित व्यक्ति, संस्था का कोई सदस्य नहीं होगा ।

[फा. सं. 97/11/2003-आईएनएस. III (i)]

तरुण बजाज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2008

G.S.R. 341(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 55, read with sub-section` (2) of Section 12 of the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules, namely:

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Actuaries (Nomination of Member to the Council) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006).

(b) "Member" means a person nominated to the Council by the Central Government under these rules.

(2) All other words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Field of consideration for nominations.-** The Central Government shall make nominations of Members to the Council under sub-clause (iii) of clause (b) of sub-section (2) of section 12 of the Act from amongst,-

(a) persons having working knowledge in the fields of life insurance or general insurance and who should not be working with any insurance company,

(b) persons having experience of working in the field of Finance,

(c) academicians or experts in the field of economics, law and accountancy,

(d) an expert from any other discipline which the Central Government may consider useful to the Council:

Provided that the persons so nominated shall not be a member of the Institute.

[F. No. 97/11/2003-Ins. III (i)]

TARUN BAJAJ, Jt. Secy.